न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 068/2023

अनवान : –

1. मालाराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी 2 टी. एल.डब्लयू हाल पावर हाउस के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री कुन्दनलाल अधिवकता प्रार्थी

श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द अधिवकता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–30/10/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 टी. एल.डब्लयू जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता स० 67/62 के प० न० 231/297 मु० न० 22 के किला न0 8/1/0.228, 8/2/0.025, 13/0.253, 14/1/0.126 कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई साईन जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थी स० 1 के नाम चक 2 टी. एल. डब्लयू जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता स0 50/40 के प० न० 231/297 मु0 न० 22 के किला न० 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0. 025, 9/0.253 0.759 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई–साईन जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । 3. यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है । प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में चल रहे स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थी स० 1 की भूमि चक 2 टी. एल.डब्लयू के प० न० 231/297 मु० न० 22 के किला न0 3 की पूर्वी सींव पर उतर से दक्षिण की ओर होते हुए अपनी भूमि प० न० 231/297 मु० न० 22 के किला न0 8 में प्रवेश करता । उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए असुविधाजनक है इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी स० 1 की भूमि चक 2 टी.एल.डब्लयू के प० न० 231/297 मु० न० 22 के किला न0 3 की पूर्वी सींव पर उतर से दक्षिण की ओर 0.013 हैक्टेयर रास्ता किला में स्वीकृत करवाना चाहता है । प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण स० 3 में वर्णित रास्ता से आवागमन करता चला आ रहा है तथा अपनी कृषि भूमि को काश्त करता चला आ रहा है । प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए दफा 3 में वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उक्त अप्रार्थी स० 1 आये दिन उक्त रास्ता को बंद कर खुर्द बुर्द करने की तथा रास्ता की भूमि पर निर्माण करने की धमकियां दे रहा है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी स० 1 की भूमि चक 2 टी. एल. डब्लयू के प० न० 231/297 मु० न० 22 के किला न0 3 की पूर्वी सींव पर उत्तर से दक्षिण की ओर 0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थी, अप्रार्थी स0 1 को अपनी साथ चिपती भूमि अथवा डीएलसी रेट अनुसार राशि देने को तैयार है । आज से करीब 5 दिवस पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी स० 1 से उक्त रास्ता को रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया तथा कहा कि आप उक्त रास्ता को रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो उक्त अप्रार्थी स० 1 सपष्ट इन्कार हो गया । अप्रार्थी स० 2 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है । प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंवम श्रवणाधिकार का है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी. ए प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी, अप्रार्थी स० 1 की भूमि चक 2 टी. एल. डब्लयू के प० न० 231/297 मु० न० 22 के किला न0 3 की पूर्वी सींव पर उत्तर से दक्षिण की ओर 0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया चक 2 टी. एल. डब्लयू. के प.नं. 231/297 (22) के किला नं. 3 में पूर्वी छोर पर उत्तर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। राजस्व रिकॉर्ड में मुझ अप्रार्थी के किला नं. 2 व 3 में प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला दर्ज है, जिस कारण प्रार्थी याचित रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है तथा न ही विधि अनुसार याचित स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है । यह कि प्रार्थना – पत्र की चरण सं. 2 आंशिक स्वीकार है । मुझ अप्रार्थी के नाम दर्ज प. नं. 231/297 (22) के किला नं. 2/ 2 3/ 2 की प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर कृषि भूमि गैर मुमकिन खाला दर्ज है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 3 अस्वीकार है । प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में मेरे किला नं. 3 की पूर्वी सींव से होते हुए अपने खेत में प्रवेश किये जाने के कथन मिथ्या दर्ज किये गये है । प्रार्थी द्वारा अभिकथित ऐसा कोई रास्ता मौका पर चालू नहीं है । प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी के किला नं. 3 में पूर्वी सींव पर उत्तर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर रास्ता याचित किया गया है. जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के किला नं. 2 व 3 में गैर मुमकिन खाला दर्ज है, जिस कारण विधिअनुसार प्रार्थी को याचित रास्ता दिया जाना संभव नहीं है तथा न ही प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 4 मिथ्या एवं मनगढ़ंत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 3 में दर्ज अनुसार मुझ अप्रार्थी की भूमि से होते हुए कृषि भूमि में प्रवेश नहीं किया जाता है, न ही ऐसा कोई रास्ता मौका पर चालू है। मौके पर प्रार्थी की फसल काश्त है । प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 5 मिथ्या एवं मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है । प्रार्थी के पास अन्य सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:11 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

करता है। जब मौका पर मुझ अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता चालू ही नहीं है, तो उसे खुर्द बुर्द करने व कथित स्थान पर कोई निर्माण करने की धमकी देने के कथन स्वयंमेव ही मिथ्या साबित होते है। मुझ अप्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि मुख्य सड़क पर स्थित होने से कीमती कृषि भूमि है । अप्रार्थी एक सीमांत कृषक है। उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने से मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि और कम हो जायेगी. जिससे मुझ अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि काश्त करने में बहुत असुविधा होगी । प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के किला नं. 3 से होकर किसी प्रकार का रास्ता स्वीकृत करने का न तो अधिकारी है और न ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना विधि सम्मत् है 1 प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 6 मिथ्या एवं मनगढ़ंत दर्ज की गई होने से अस्वीकार है । प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 7 कानूनी है । प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 8 अस्वीकार है । हस्तगत प्रार्थना – पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है । अतः जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार टिब्बी के पत्रांक 719 दिनांक 26.04.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट चक 2 टीएलडब्लयु में प्रार्थी की भूमि प0न0 231/297(22) किला न0 8,13,14/.126 को मौका पर कोई रास्ता नही लगता है मौके पर प0न0 231/297 किला न0 2 व 3 में पूर्व पश्चिम पक्की सडक बनी हुई है। वर्तमान में प्रार्थी अप्रार्थी चक 2 टीएल डबलयु के प0न0 231/297(22) किला न0 3 में से आवागमन हेतु उत्तर से दक्षिण दिशा में पूर्वी दिशा में लगता हुआ रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया व उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक दूसरे के खेत पड़ोसी है। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नही है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी चक 2 टीएल डबलयु के प0न0 231/297(22) किला न0 3 के पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण दिशा में से आवागमन हेतु उत्तर से दक्षिण दिशा में पूर्वी दिशा से लगते हुए रास्ते से होते हुए अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है जो की सबसे सुविधाजनक व छोटा रास्ता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एंव वैकल्पिक रास्ते के आभाव पर विचारण किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा के लिए न होकर एक आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है एंव तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट व नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता एक आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रास्ते से होकर गुजरता भी है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु रास्ता दिया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर चक 2 टीएल डबलयु के प0न0 231/297(22) किला न0 3 में से आवागमन हेतु उत्तर से दक्षिण दिशा में पूर्वी सींव पर .013 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार राजस्व टिब्बी के नजरी नक्शा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं अप्रार्थी की जितनी भूमि रास्ता में आती है उसके बदले प्रार्थी की

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि अप्रार्थी से चिपती हुई जो कि चक न0 2 टीएलडब्ल्यु प0न0 231/297 मु0 न 22 के किला न0 8/1 में से .013 हैक्टेयर उतरी सींव पर पश्चिम से पूर्व .भूमि कम की जाकर अप्रार्थी बाबूलाल के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद कर गैर गुमकिन रास्ते के रूप कर रास्ता चालू करवाया जावे। तहसीलदार को पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/10/24.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ टिब्बी ★

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2024 दिनांकः–

तहसीलदार (राजस्व)
टिब्बी।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–68 / 2023 निर्णय दिनांक 30/10/24।

अनवान : –

1. मालाराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी 2 टी. एल.डब्लयू. हाल पावर हाउस के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 68 / 2023 अनवान मालाराम बाबूलाल आदि में निर्णय दिनांक 30/10/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है चक 2 टीएल डबलयु के प0न0 231 / 297(22) किला न0 3 में से आवागमन हेतु उतर से दक्षिण दिशा में पूर्वी सींव पर .013 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार राजस्व टिब्बी के नजरी नक्शा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं अप्रार्थी की जितनी भूमि रास्ता में आती है उसके बदले प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थी से चिपती हुई जो कि चक न0 2 टीएलडब्लयु प0न0 231 / 297 मु0 न 22 के किला न0 8 / 1 में से .013 हैक्टेयर उतरी सींव पर पश्चिम से पूर्व भूमि कम की जाकर अप्रार्थी बाबूलाल के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप कर रास्ता चालू करवाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी

Scanned with CamScanner